होटल मैनेजमेंट एण्ड कैटरिंग टेक्नोलॉजी प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा – २०१६

Hotel Management & Catering Technology Entrance Competitive Examination – 2016 [HMCT]

मार्ग–निर्देशिका

2016

झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद

(झारखण्ड सरकार)

विवरणी	अभियुक्ति
वेबसाईट से आवेदन पत्र डाउनलोड करने की तिथि	21.03.2016
परीक्षा शुल्क सहित भरे हुए आवेदन पत्र पर्षद कार्यालय में पहुँचने की अंतिम तिथि	18.04.2016
झारखण्ड सरकार या झा०सं०प्र०प्र०प० पर्षद यदि चाहे तो निर्धारित तिथियों में परिवर्त्तन कर सकती है।	

परीक्षा की तिथि : 07.05.2016 (शनिवार)

विज्ञान एवं प्रावैधिकी परिसर, सिरखा टोली, नामकुम–तुपुदाना रोड, नामकुम, राँची

Inquiry No.: 0651 – 6999170

Inquiry mail id :- jceceboard@gmail.com

Board's Website :- http://jceceb.jharkhand.gov.in

विषय सूची

विवरण

क्रम सं॰ — **पृष्ठ सं॰**

क्रम सं॰	विवरण		पृष्ठ सं॰
1.	परिचय	–	3
2.	संस्थान	–	3
3.	संस्थानों/शाखाओं/उपलब्ध सीटों की जानकारी	–	3
4.	प्रवेश हेतु आवश्यक शैक्षणिक योग्यता	–	3
5.	आवासीय अर्हता	–	3
6.	शारीरिक योग्यता	–	3
7.	आयु सीमा	–	3
8.	संस्थान में नामांकन हेतु शुल्क	–	3 – 4
9.	आरक्षण	–	4
10.	H.M.C.T. प्रवेश प्र॰ परीक्षा – 2016 के प्रश्न पत्रों के प्रकार	–	4 – 5
11.	प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा का संचालन	–	5
12.	परीक्षा केन्द्र	–	5
13.	आवेदन पत्र की उपलब्धता	–	5
14.	परीक्षा शुल्क	–	5
15.	आवेदन पत्र भरने के लिये आवश्यक निर्देश	–	5
16.	आवेदन पत्र भेजने के लिये आवश्यक निर्देश	–	5
17.	प्रवेश पत्र	–	5 – 6
18.	मेधा सूची का निर्माण	–	6
19.	पुर्नमूल्यांकन एवं पुर्नयोग	–	6
20.	प्रथम साक्षात्कार	–	6
21.	द्वितीय साक्षात्कार	–	6
23.	शाखा एवं संस्थान परिवर्त्तन	–	6
24.	साक्षात्कार शुल्क	–	7
25.	आंशिक जमानत राशि	–	7
26.	अन्य आवश्यक सूचनाएँ	–	7 – 8
27.	साक्षात्कार के संबंध में आवश्यक निर्देश एवं सूचनाएँ	–	8 – 9
	स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में नीति निर्धारण	–	10
	स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र का प्रारूप	–	11
	जाति प्रमाण–पत्र (SC/ST/BC – I/ BC – II) का प्रारूप	–	11

होटल मैनेजमेंट एण्ड कैटरिंग टेक्नोलॉजी प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा – २०१६

Hotel Management & Catering Technology Entrance Competitive Examination - 2016

मार्ग–निर्देशिका/ Prospectus

1. **परिचय :** झारखण्ड राज्य के संस्थानों में संचालित होटल मैनेजमेंट एण्ड कैटरिंग टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम के शैक्षणिक सत्र 2016–17 के प्रथम वर्ष में नामांकन हेतु होटल मैनेजमेंट एण्ड कैटरिंग टेक्नोलॉजी प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा – 2016 के परीक्षाफल से तैयार की गयी मेधा सूची से मेधा–सह–ईच्छा के आधार पर होगा। यह प्रतियोगिता परीक्षा, झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा आयोजित की जायेगी।

2. **संस्थान:** इसके अन्तर्गत विज्ञान एवं प्रबंधन संस्थान, पुनदाग, राँची एवं नेताजी सुभाष इन्स्टीच्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एण्ड टूरिज्म, जमशेदपुर सम्मिलित हैं।

3. **संस्थानों/शाखाओं/उपलब्ध सीटों की जानकारी :** विज्ञान एवं प्रबंधन संस्थान, पुनदाग, राँची के अन्तर्गत 90+5 (TFW) सीटें (सामान्य – 45, अनुसूचित जनजाति – 23, अनुसूचित जाति – 9, पिछड़ी जाति – I – 7, पिछड़ी जाति – II – 6) एवं नेताजी सुभाष इन्स्टीच्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एण्ड टूरिज्म, जमशेदपुर के अन्तर्गत 60+3 (TFW) सीटें (सामान्य – 30, अनुसूचित जनजाति – 16, अनुसूचित जाति – 6, पिछड़ी जाति – I – 5, पिछड़ी जाति – II – 3) हैं।

यह शैक्षणिक सत्र 2015–16 के आधार पर आधारित है जिसमें उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राँची के आदेशानुसार परिवर्तन किया जा सकता है। अद्यतन सीटों की जानकारी साक्षात्कार के समय दी जाएगी।

4. **प्रवेश हेतु आवश्यक शैक्षणिक योग्यता :**

(1) अभ्यर्थी को इण्टरमीडिएट/10+2/समकक्ष परीक्षा में 35% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

(2) इण्टरमीडिएट/10+2/समकक्ष परीक्षा में परीक्षा वर्ष में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी भी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते साक्षात्कार तिथि के पूर्व उन्हें उत्तीर्णता प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

5. **आवासीय अर्हत्ता :** प्रवेश परीक्षा में वे ही अभ्यर्थी भाग ले सकतें हैं जो झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी या स्थानीय निवासी की श्रेणी में आते हैं। झारखण्ड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राज्यभाषा विभाग ने अपने अधिसूचना ज्ञाप सं० 5/विविध–09/2001 (डोमिसाइल) का.2691/राँची दिनांक 29.04. 2002 में स्थानीय निवासी को परिभाषित किया है। सुलभ संकेत हेतु अधिसूचना की प्रति इस मार्ग–निर्देशिका के साथ **अनुसूची–'क'** में दी गई है तथा इसे पर्षद के वेबसाइट के Homepage पर Act & Circular कॉलम में भी देखा जा सकता है।

अभ्यर्थी को अपने दावे के समर्थन में विहित प्रपत्र में सक्षम पदाधिकारी {झारखण्ड राज्य के अनुमंडल पदाधिकारी (असैनिक) या उपायुक्त} द्वारा निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र की मूल प्रति साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। "स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र" का प्रपत्र इस मार्ग–निर्देशिका के साथ दिए गए **अनुसूची – 'ख'** में देखा जा सकता है।

6. **शारीरिक योग्यता :** साक्षात्कार के माध्यम से अनुशंसित अभ्यर्थियों को नामांकन के समय संस्थान में निबंधित चिकित्सक से स्वस्थता प्रमाण–पत्र उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा अन्यथा अयोग्य होने की स्थिति में संस्थान द्वारा नामांकन नहीं लिया जाएगा।

7. **आयु सीमा :** डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिये कोई न्यूनतम या अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है। आयु के निर्धारण के लिये केवल माध्यमिक/10वीं/समकक्ष परीक्षा के मूल/औपबंधिक प्रमाण–पत्र में दर्ज जन्मतिथि ही वैध होगी।

8. **संस्थान में नामांकन हेतु शुल्क :** संस्थान में नामांकन हेतु शुल्क की राशि के संबंध में जानकारी

साक्षात्कार के समय पर्षद या/और संबंधित संस्थान द्वारा दी जायेगी।

9. **आरक्षण :**

9.1 **जाति आधारित आरक्षण :** राजकीय एवं गैर–राजकीय संस्थानों में नामांकन हेतु अनुशंसा के लिये झारखण्ड सरकार द्वारा लागू अद्यतन आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा।

परन्तु आरक्षित सीटों पर दावा करने वाले अभ्यार्थियों को विहित प्रपत्र में ही सक्षम पदाधिकारी {झारखण्ड राज्य के अनुमंडल पदाधिकारी (असैनिक) या उपायुक्त} द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र साक्षात्कार के समय मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्य अधिकारी द्वारा निर्गत {झारखण्ड राज्य के अनुमंडल पदाधिकारी (असैनिक) या उपायुक्त को छोड़कर} जाति प्रमाण–पत्र पर आरक्षण का दावा विचारणीय नहीं होगा (संदर्भ : का॰ प्र॰सु॰ तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 7/आ0नि0–018–10/2003 का0 7072 दिनांक 30. 12.2003) तथा उनका आरक्षण का दावा रद्द कर दिया जाएगा तथा उन्हें अनारक्षित कोटि की मान्यता दी जाएगी। अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 2) के अभ्यर्थियों को का0प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग के ज्ञापांक 7/जाति–19–11/2008 का0–10007 दिनांक 29. 08.2012 के आलोक में ''क्रीमी लेयर'' अवधारणा के समावेश संबंधित प्रपत्र में ही जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा।

जाति प्रमाण–पत्र का विहित प्रपत्र मार्ग–निर्देशिका के साथ दिए गए अनुसूची–'ग' में देखा जा सकता है।

आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में आरक्षित सीटों का विनियमन नहीं किया जायेगा (संदर्भः का0प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग के ज्ञापांक 7/नीति (आरक्षण)–06/2001 का0–5886, दिनांक 21.09.2011)।

नोट : आरक्षण के दावे के संबंध में अपने कोटि के बारे में संतुष्ट हो लें। यदि कोई संशय हो तो अंचल/अनुमण्डल कार्यालय से सम्पर्क कर लें या पर्षद के वेबसाईट के Homepage पर Downloads कॉलम पर सम्पर्क करें, जहाँ अद्यतन आरक्षित श्रेणी में निहित जातियों की विवरणी उपलब्ध है।

9.2 **शारीरिक रूप से विकलांगों उम्मीदवारों हेतु आरक्षण :** अभियंत्रण डिप्लोमा संस्थानों में शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए सीटें आरक्षित हैं। शारीरिक रूप से विकलांग का अभिप्राय होगा वैसे उम्मीदवार जो मूक या बधिर या शारीरिक विकलांग या सभी साथ हो तथा जिनके शरीर का निचला हिस्सा एवं उपरी हिस्सा या दोनों मिलाकर कम से कम 40 प्रतिशत आंशिक असमर्थ हो। शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों को एक पूर्ण आकार का अपना फोटो देना होगा तथा जिला के असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी (सिविल सर्जन) द्वारा प्रदत्त विकलांगता प्रमाण–पत्र भी साक्षात्कार के समय देना होगा। आवेदन पत्र में सिर्फ अपना विकलांगता के प्रकार सम्बन्धी कोड भरें ।

9.3 **निःशुल्क शिक्षा योजना :** अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (अभातशिप), नई दिल्ली के प्रावधान के अनुसार प्रत्येक स्वीकृत संस्थान के प्रत्येक शाखा के कुल सीटों के 5 प्रतिशत सीटों पर निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान के तहत वैसे अभ्यर्थी को सीट आवंटित की जायेगी, जिनके पिता/माता/अभिभावक का सभी श्रोतों से वार्षिक आय 6 लाख से कम है। इसके लिये उन्हें झारखण्ड राज्य के अनुमण्डल पदाधिकारी (असैनिक) द्वारा जारी आय प्रमाण–पत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आय प्रमाण–पत्र एक (1) साल के अन्दर का निर्गत होना अनिवार्य है। इस योजना के तहत कर्णांकित की गई सभी सीटें अनारक्षित होगी, अर्थात् इन सीटों का आरक्षण से कोई संबंध नहीं होगा तथा सीटों का आबंटन मेधा–सह–ईच्छा के आधार पर किया जायेगा।

10. **होटल मैनेजमेंट एण्ड कैटरिंग टेक्नोलॉजी प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा – 2016 के प्रश्न पत्रों के प्रकार :** प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार और बहु–विकल्प प्रकृति के होंगे। प्रत्येक सही उत्तर पर 1 अंक देय होगा एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की कटौती की जायगी। एक प्रश्न के लिए एक से अधिक

विकल्प देने पर उन्हें अमान्य कर दिया जाएगा तथा इसकी गणना गलत उत्तर के अन्तर्गत की जायेगी।

होटल मैनेजमेंट एण्ड कैटरिंग टेक्नोलॉजी प्रवेश परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र के विषय, परीक्षा की अवधि, पूर्णांक, परीक्षा का स्तर इत्यादि निम्नलिखित है :

परीक्षा की अवधि–2 घंटे 30 मिनट

(पूर्वाहन 10.00 बजे से 12.30 बजे अपराह्न तक)

प्रश्न–पत्र के विषय	पूर्णांक	परीक्षा का स्तर	परीक्षा की तिथि
हिन्दी	50	इंटरमीडिएट	...../...../2016
अंग्रेजी	50	इंटरमीडिएट	
गणित	50	माध्यमिक	

नोट : **किसी अपरिहार्य परिस्थिति में परीक्षा की तिथि में झारखण्ड सरकार/झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा फेर–बदल किया जा सकता है।**

11. **होटल मैनेजमेंट एण्ड कैटरिंग टेक्नोलॉजी प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा का संचालन :** पोलिटेकनिक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा–2016 एक चरण में आयोजित की जायेगी।

12. **परीक्षा केन्द्र :** परीक्षा राँची जिला मुख्यालय स्थित परीक्षा केन्द्रों में होगी।

13. **आवेदन पत्र की उपलब्धता:** होटल मैनेजमेंट एण्ड कैटरिंग टेक्नोलॉजी प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा – 2016 में सम्मिलित होने के लिये इच्छुक उम्मीदवार पर्षद के वेबसाईट http://jceceb.jharkhand.gov.in के Homepage पर Downloads कॉलम से आवेदन पत्र डाउनलोड कर आवेदन कर सकते हैं।

14. **परीक्षा शुल्क :** सामान्य/पिछड़ी जाति – I/पिछड़ी जाति – II कोटि के आवेदकों को ₹ 1,100/– एवं अनुसूचित जाति/जनजाति कोटि के आवेदकों को ₹ 550/– परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा, जो अप्रतिदेय (non refundable) होगा।

परीक्षा शुल्क जमा करने का तरीका :–

(i) डिमान्ड ड्राफ्ट (Demand Draft):– वांछित राशि का डिमान्ड ड्राफ्ट, जो "Controller of Examination" के पदनाम से देय तथा Ranchi में भुगतेय हो, **या**

(ii) बैंक चालान (Bank Challan):– चालान (Challan) की प्रति आवेदन पत्र के साथ उपलब्ध कराया गया है। चालान के माध्यम से परीक्षा शुल्क, यूनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया के किसी भी शाखा में या अन्य किसी बैंक से यूनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया के खाते में जमा किया जा सकेगा।

15. **आवेदन–पत्र भरने के लिए आवश्यक निर्देश :** अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन–पत्र भरने के पूर्व मार्गनिर्देशिका से अवगत हो लें। गलत या अपूर्ण सूचना देने पर पर्षद आपके आवेदन को अस्वीकार/रद्द कर सकता है। आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी अंतिम रूप से मान्य होगा तथा किसी भी प्रकार का परिवर्त्तन बाद में नही किया जायेगा। फोटोग्राफ रंगीन होना चाहिए तथा चेहरे के साथ–साथ दोनों कान स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। फोटोग्राफ संपादित (Edited) नहीं होना चाहिए अन्यथा आवेदन रद्द कर दिया जायेगा।

16. **आवेदन–पत्र भेजने के लिए आवश्यक निर्देश :** अभ्यर्थियों डाउनलोड किये गये आवेदन पत्र को पूरी तरह भरकर वांछित राशि का डिमान्ड ड्राफ्ट (मूल रूप में) {डिमान्ड ड्राफ्ट के पिछले पृष्ठ पर अपना नाम एवं पता अवश्य दर्ज करें} **या** बैंक चालान की पर्षद प्रति (Board's Copy) संलग्न कर **झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, विज्ञान एवं प्रावैधिकी परिसर, सिरखा टोली, नामकुम–तुपुदाना रोड, नामकुम, राँची–834010** के पते पर निर्धारित अंतिम तिथि तक निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। **प्रेषित किये जाने वाले लिफाफे के उपर मोटे अक्षर में "Hotel Management & Catering Technology Entrance Competitive Examination - 2016" अवश्य अंकित करें। निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।**

17. **प्रवेश पत्र :** निर्धारित तिथि तक प्राप्त पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन–पत्र ही स्वीकार किए जाएगें तथा

परीक्षा में बैठने हेतु प्रवेश पत्र निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट/मास मेल से भेजा जायेगा और/या वेबसाईट के माध्यम से ऑनलाईन डाउनलोड करने का विकल्प दिया जायेगा। डाक विभाग के माध्यम से प्रवेश–पत्र भेजने पर किसी भी विलम्ब डिलेवरी/नन डिलेवरी के लिए पर्षद उत्तरदायी नहीं होगा। प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी का नाम, स्कैन फोटोग्राफ, जन्मतिथि, लिंग, परीक्षा का नाम, परीक्षा की तिथि, परीक्षा केन्द्र, पता, क्रमांक एवं उनका आरक्षण कोटि दर्ज रहेगा। ऑनलाईन प्रवेश पत्र परीक्षा तिथि के चार (4) दिन पूर्व, वेबसाईट के माध्यम से भी, उपलब्ध कराई जाएगी।

प्रवेश–पत्र नहीं मिलने या फोटो/लिंग/कोटि में त्रुटि संशोधन हेतु पर्षद द्वारा परीक्षा से संबंधित जारी विज्ञापन जरूर देखें तथा उसमें दिये गये निर्देशों का पालन करें।

18. **मेधा सूची का निर्माण** : होटल मैनेजमेंट एण्ड कैटरिंग टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम के लिए संयुक्त मेधा सूची के साथ–साथ कोटि–वार मेधा सूचियों का निर्माण किया जायेगा। होटल मैनेजमेंट एण्ड कैटरिंग टेक्नोलॉजी प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा–2016 में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर मेधा सूची का निर्माण किया जायेगा। इस प्रवेश परीक्षा में दो या दो से अधिक परीक्षार्थियों के प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उनका मेधा क्रम निम्न प्रकार निर्धारित किया जायेगा :

क्रम सं0	स्थिति	अभ्युक्ति
1.	प्राप्तांकों को जोड़ समान होने पर	अंग्रेजी के प्राप्तांक के अनुसार
2.	स्थिति – 1 समान होने पर	गणित के प्राप्तांक के अनुसार
3.	स्थिति – 2 समान होने पर	जिनकी जन्म तिथि पहले हो
4.	स्थिति – 3 समान होने पर	प्रथम नाम के अँग्रेजी वर्णाक्रमानुसार

19. **पुनर्मुल्यांकन एवं पुर्नयोग** : उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन, दुबारा जोड़ आदि का कोई प्रावधान नहीं है और न ही इस संबंध में किसी पत्राचार पर विचार किया जायेगा।

20. **प्रथम साक्षात्कार** : परीक्षाफल के प्रकाशन के उपरान्त, अभ्यर्थियों को मेधा क्रमानुसार साक्षात्कार हेतु बुलाया जायेगा। साक्षात्कार की तिथि, समय, तथा स्थान की सूचना समय–समय पर झारखण्ड राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों के साथ–साथ पर्षद के वेबसाईट के माध्यम से दी जाएगी। साक्षात्कार के समय सभी आवश्यक मूल प्रमाण–पत्रों तथा पहचान की छानबीन एवं जाँच कर, आश्वस्त होने के बाद ही अभ्यर्थी द्वारा मेधा अनुसार उनके क्रम पर उपलब्ध संस्थान एवं पाठ्यक्रम को स्वेच्छा से चुना जा सकेगा। साक्षात्कार Computerized Multi Station Parallel Counselling के माध्यम से की जाएगी, जिसमें अभ्यर्थियों को साक्षात्कार स्थल पर स्वयं उपस्थित होकर संस्थान/शाखा का चयन करना होगा। साथ ही संस्थानवार/शाखावार अद्यतन रिक्त सीटों की जानकारी पर्षद के वेबसाईट पर "Counselling Status" में तथा साक्षात्कार स्थल पर भी दी जाती रहेगी।

21. **द्वितीय साक्षात्कार** : प्रथम साक्षात्कार के उपरांत यदि संस्थानों में सीटें रिक्त रह जाती हैं तो द्वितीय साक्षात्कार उपर्युक्त की ही भांति आयोजित किया जाएगा तथा इसकी सूचना झारखण्ड राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों एवं पर्षद के वेबसाईट के माध्यम से दी जायेगी।

22. साक्षात्कार सम्बंधी सभी नियमों एवं वांछित प्रमाण पत्रों की जानकारी हेतु कंडिका 26 एवं 27 देखें।

23. **शाखा एवं संस्थान परिवर्तन**: इस तरह के सभी मामलों पर पर्षद की ओर से परीक्षा नियंत्रक द्वारा निर्णय लिया जाएगा, जो अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। **"नामांकन की प्रक्रिया समाप्ति के बाद प्रथम वर्ष में संस्थान एवं शाखा परिवर्तन संबंधी किसी भी आवेदन पर संबंधित संस्थानों के मुख्य द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा और न ही परीक्षा नियंत्रक के निर्णय के प्रतिकूल कार्रवाई की जाएगी।"**

24. साक्षात्कार शुल्क : साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने पर सामान्य/पिछड़ी जाति (I एवं II) कोटि के अभ्यर्थियों को ₹ 500/– (अनुसूचित जाति/जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों को ₹ 350) का चालान/भारतीय पोस्टल ऑर्डर जमा करना अनिवार्य होगा।

25. संस्थान/शाखा आवंटन हेतु आंशिक जमानत राशिः– इसके संबंध में विस्तृत जानकारी साक्षात्कार हेतु विज्ञापित विज्ञापन के माध्यम से दी जायेगी।

26. अन्य आवश्यक सूचनाएँ :

26.1 परीक्षा संबंधी सभी कार्यों का संचालन झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद की ओर से परीक्षा नियंत्रक करेगें एवं उनके द्वारा लिया गया सभी निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगें।

26.2 परीक्षा एवं साक्षात्कार संबधी सभी अद्यतन जानकारी हेतु पर्षद के वेबसाईट के सम्पर्क में रहे ।

26.3 इस मार्ग निर्देशिका में दी गयी सूचनाओं के अतिरिक्त यदि किसी संस्थान विशेष के संबंध में अधिक जानकारी की आवश्यकता हो तो उस संस्थान से सीधे सम्पर्क कर सकते हैं।

26.4 झारखण्ड सरकार/झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद को इस मार्ग–निर्देशिका में सन्निहित नियमों/ प्रावधानों/सूचनाओं में किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार होगा। इसकी जानकारी अभ्यर्थियों को झारखण्ड राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों या/और पर्षद के वेबसाइट के माध्यम से दी जायेगी।

26.5 अभ्यर्थी को साक्षात्कार के समय प्रतियोगिता परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र या वेबसाईट से डाउनलोड किया गया ऑनलाईन प्रवेश–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अतः प्रवेश पत्र को संभाल कर रखें।

26.6 यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जानकारी, पहचान इत्यादि किसी भी समय असत्य पाया जाता है तो उनका अभ्यर्थित्व तुरंत निरस्त कर दिया जायेगा और उनके विरूद्ध झारखण्ड परीक्षा संचालन अधिनियम एवं भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी, जिसमें कारावास तक का भी प्रावधान है।

26.7 कानूनी समस्या उत्पन्न होने की स्थिति में वाद के अंतिम निर्णय होने तक अभ्यर्थी को नामांकन से वंचित रखा जायगा। झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद के पक्ष में निर्णय होने पर वाद पर हुए सभी खर्च, ब्याज के साथ अभ्यर्थी से वसूल किया जा सकता है।

26.8 **इस प्रतियोगिता परीक्षा के प्रक्रिया/आवेदन/आवंटन या अन्य किसी प्रकार के दावे से संबंधित विवाद केवल माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/राँची व्यवहार न्यायालय क्षेत्राधिकार के अन्दर ही दायर किए जाएगें और वे ही मान्य होगें।**

झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद के परीक्षा नियंत्रक ही वैधिक व्यक्ति होगें जिनके माध्यम से पर्षद वाद दायर कर सकेगा अथवा पर्षद के विरूद्ध वाद दायर किये जा सकेंगे।

26.9 साक्षात्कार के लिए बुलाये गये अभ्यर्थियों को निम्नांकित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों की मूल प्रतियाँ तथा उनकी एक–एक स्वअभिप्रमाणित छाया–प्रति साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। वांछित मूल प्रमाण–पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर अभ्यर्थियों को सीट/शाखा/संस्थान आवंटन से वंचित कर दिया जायगा। साक्षात्कार के समय सिर्फ Xerox Copy या Fax Copy उपलब्ध कराने पर उसकी मान्यता किसी भी परिस्थिति में नहीं दी जाएगी।

1. माध्यमिक/10वीं/समकक्ष परीक्षा का प्रवेश पत्र, अंक पत्र तथा उत्तीर्णता प्रमाण–पत्र (मूल या औपबंधिक)।
2. इण्टरमीडिएट/10+2/समकक्ष परीक्षा का प्रवेश पत्र, अंक पत्र तथा उत्तीर्णता प्रमाण–पत्र (मूल या औपबंधिक)।
3. झारखण्ड राज्य के अनुमण्डल पदाधिकारी (सिविल)/उपायुक्त द्वारा जारी स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र ।
4. झारखण्ड राज्य के अनुमण्डल पदाधिकारी (सिविल)/उपायुक्त द्वारा विहित प्रपत्र में जारी जाति प्रमाण–पत्र (आरक्षण का लाभ लेने की स्थिति में)। अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 1) तथा पिछड़ा वर्ग

(अनुसूची – 2) के अभ्यर्थियों को का0प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग के ज्ञापांक 7/जाति–19–11/2008 का॰–10007 दिनांक 29.08.2012 के आलोक में "क्रीमी लेयर" अवधारणा के समावेश संबंधित प्रपत्र में ही जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 2) के अभ्यर्थी जो क्रीमी लेयर के अन्तर्गत नहीं आते हैं, उन्हें ही आरक्षण का लाभ देय होगा।

5. झारखण्ड राज्य के अनुमण्डल पदाधिकारी (सिविल)/उपायुक्त द्वारा विहित प्रपत्र में जारी आय प्रमाण–पत्र (निःशुल्क शिक्षा योजना के तहत कर्णांकित सीट का लाभ लेने की स्थिति में)।

6. जिला अस्पताल के असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी (सिविल सर्जन) द्वारा प्रदत्त विकलांगता प्रमाण–पत्र तथा एक फुल साईज (पूरे शरीर का) फोटोग्राफ (विकलांग कोटा का लाभ लेने की स्थिति में)

7. एक (1) पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ।

8. होटल मैनेजमेंट एण्ड कैटरिंग टेक्नोलॉजी प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा – 2016 का प्रवेश पत्र। (यदि प्रवेश–पत्र गुम हो गया है तो सनहा की प्रति)

9. साक्षात्कार पत्र यदि पर्षद द्वारा प्रेषित किया गया हो।

नोट : **सिर्फ प्रवेश पत्र गुम हो जाने की स्थिति में ही सनहा की प्रति मान्य होगी, अन्य किसी भी प्रमाण–पत्र के मामले में नहीं।**

27. साक्षात्कार के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश एवं सूचनाएँ

27.1 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन–पत्र भरने के उपरान्त ही, अपने दावे के समर्थन में प्रमाण–पत्र संबंधित अनुमंडल/उपायुक्त कार्यालय से प्राप्त कर लें। किसी भी परिस्थिति में प्रमाण–पत्र के अभाव में सीट आवंटन नहीं किया जायेगा।

27.2 साक्षात्कार के समय विद्यालय/महाविद्यालय परित्याग प्रमाण–पत्र की आवश्यकता नहीं है। नामांकन के समय संबंधित संस्थान में जमा करना अनिवार्य है।

27.3 साक्षात्कार के दौरान यदि अभ्यर्थी अपने मेधाक्रमानुसार उपस्थित होते हैं और सभी वांछित प्रमाण–पत्रों को प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं अथवा अपने मेधाक्रमानुसार निर्धारित तिथि/समय पर उपस्थित नहीं होते हैं तथा संबंधित वर्ग के चालू साक्षात्कार के दौरान किसी साक्षात्कार दिवस में सभी वांछित प्रमाण–पत्रों के साथ उपस्थित होते हैं तो वैसी स्थिति में उस दिन/समय पर उपलब्ध सीटों/संस्थानों के आलोक में ही उनको सीट के विकल्प का चयन करना होगा।

27.4 अगर कोई अभ्यर्थी साक्षात्कार में उपस्थित नहीं होते हैं अथवा सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत वांछित/निर्धारित प्रमाण–पत्र/दस्तावेज समय पर प्रस्तुत नहीं करते हैं अथवा अपनी पहचान स्थापित नहीं करते हैं अथवा डाक्टरी जाँच में अयोग्य पाये जाते हैं तो वैसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी चालू साक्षात्कार के लिये स्वतः रद्द समझी जाएगी।

27.5 साक्षात्कार, संयुक्त मेधा सूची के अनुसार आयोजित की जायेगी। आरक्षित कोटि/कोटा यथा SC/ST/BC-I/BC-II के अभ्यर्थियों को यह सुविधा रहेगी कि वे अनारक्षित कोटि के साक्षात्कार के दिन अनारक्षित कोटि के लिए उपलब्ध सीटों/संस्थानों के साथ–साथ अपने आरक्षित कोटि/कोटा के लिए उपलब्ध सीटों/संस्थानों का चयन कर सकते हैं। अतः वे अपने आरक्षण के दावे के समर्थन में साक्षात्कार के समय जाति प्रमाण–पत्र अवश्य प्रस्तुत करें।

27.6 सीट एवं संस्थान आवंटन के पूर्व प्रत्येक अभ्यर्थी के प्रमाण–पत्रों की मूल प्रतियों, उनका हस्ताक्षर तथा पहचान की छान–बीन की जायेगी।

जाली प्रमाण–पत्र अथवा गलत पहचान के आधार पर नामांकन का प्रयास करने वाले अभ्यर्थियों के विरूद्ध भा॰द॰वि॰ की सुसंगत धाराओं के अनुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी एवं साथ ही साथ पर्षद द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में आगामी तीन वर्षों तक शामिल होने से वंचित कर दिया जाएगा। पात्रता प्राप्त एवं चयनित अभ्यर्थियों को आवंटित संस्थान में नामांकन के समय निबंधित चिकित्सक

द्वारा जारी स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके अभाव में नामांकन नहीं होगा।

27.7 अभ्यर्थी को सीट आवंटन के उपरान्त निर्धारित तिथि तक नामांकन कराना अनिवार्य होगा अन्यथा उनका आवंटन पत्र स्वतः रद्द समझा जाएगा।

27.8 साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी की मेधा क्रम के समय उपलब्ध रिक्त सीटों में से अभ्यर्थी को सीट का आवंटन, मेधा–सह–ईच्छा के आधार पर किया जाएगा। साक्षात्कार के लिए अलग से कोई अंक निर्धारित नहीं है। **साक्षात्कार हेतु प्रकाशित किए जाने वाले मेधा सूची में अन्तर्निहित अभ्यर्थियों के नामांकन हेतु अनुशंसा की गारंटी नहीं है। प्रत्येक कोटि/कोटा में उपलब्ध रिक्तियों से अधिक संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है।**

27.9 नामांकन के समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा Anti Ragging के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश के आलोक में, सभी अनुशंसित अभ्यर्थियों एवं उनके अभिभावकों को अपने–अपने आवंटित संस्थानों में निर्धारित प्रपत्र में शपथ पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। शपथ पत्र का प्रारूप वेबसाईट http://jceceb.jharkhand.gov.in के Homepage पर Downloads कॉलम में उपलब्ध है।

27.10 प्रत्येक साक्षात्कार की समाप्ति के उपरान्त रिक्त बचे सीटों की विवरणी पर्षद के वेबसाईट पर देखा जा सकेगा।

परीक्षा नियंत्रक

अनुसूची – 'क'

झारखंड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

विषय : शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु ''स्थानीय निवासी'' प्रमाण–पत्र जारी करने के संबंध में नीति निर्धारण।

राज्य के व्यवसायिक / तकनीकी शिक्षण संस्थानों में नामांकन में स्थानीय निवासियों को ही नामांकन की सुविधा प्राप्त होती है, जो संविधान एवं विधि सम्मत है, परन्तु नवगठित झारखंड राज्य में ''स्थानीय निवासी'' पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं होने के कारण कठिनाईयाँ आ रही है।

2. उपरोक्त संदर्भ में ''स्थानीय निवासी'' को परिभाषित करने संबंधी प्रश्न माननीय राँची उच्च न्यायालय में डब्लू. पी. (पी.आई.एल.) संख्या–586/2002 में उठाया गया है, जिसमें अंतरिम आदेश पारित है कि राज्य सरकार इस संबंध में शीघ्र नीति निर्धारित करे।

3. ''स्थानीय निवासी'' से संबंधित राज्य की स्पष्ट नीति निर्धारित करने के पूर्व कुछ राज्यों–यथा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश एवं आन्ध्र प्रदेश–से उन राज्यों में लागू नीति से संबंधित सूचनाएँ एकत्रित की गई एवं उनका तुलनात्मक विवेचन किया गया। इसी संदर्भ में झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा ''स्थानीय निवासी'' की परिभाषा, जो बिहार में प्रचलित परिभाषा पर आधारित है, की भी समीक्षा की गई।

4. राज्य सरकार द्वारा सभी पहलुओं की सम्यक् समीक्षा एवं समुचित विचारोपरान्त, झारखंड राज्य में ''स्थानीय निवासी'' की परिभाषा निम्न रूप से निरूपित करने का निर्णय लिया गया है जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में लागू नीति पर आधारित है। इसके तहत उसी व्यक्ति को स्थानीय निवासी माना जायेगा, जो

(i) झारखंड में पैदा हुआ हो, अथवा

(ii) (क) वह, अथवा
(ख) उसके पालकों (Parents) में से कोई, अथवा
(ग) उसके पालकों (Parents) में से कोई जीवित न हो तो उसका वैध अभिभायक (गार्जियन)

झारखंड में निरंतर कम–से–कम 15 वर्ष से रह रहा हो, अथवा

(iii) उसके पालकों (Parents) में से कोई भी :–
(क) राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत कर्मचारी हों, अथवा
(ख) जिनके पालकों (Parents) में से कोई भी भारत सरकार का कर्मचारी हो, और प्रतिनियुक्ति पर झारखंड राज्य में या झारखंड में स्थित भारत सरकार द्वारा संचालित उपक्रमों/संस्थानों का कर्मचारी हो, अथवा

(iv) (क) वह स्वयं, अथवा
(ख) उसके पालकों (Parents) में से कोई भी झारखंड में पिछले 5 वर्षो से कोई अचल सम्पत्ति, उद्योग अथवा व्यवसाय रखता हो,

(v) परन्तु, उपरोक्त के अतिरिक्त :–
(अ) उसने अपनी शिक्षा झारखंड के किसी भी शिक्षण संस्थान में कम–से–कम 7 वर्षो तक प्राप्त की हो, अथवा
(ब) उसने झारखंड में स्थित किसी भी शिक्षण संस्थान में निम्नलिखित परीक्षाएँ उत्तीर्ण की हों, अर्थात् :

(vi) यदि संस्थान में प्रवेश के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि निर्धारित की गयी हो, तो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा,

(vii) यदि किसी संस्थान में प्रवेश के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी विश्वविद्यालय या बोर्ड की इंटरमीडिएट, हायर सेकेण्डरी या कोई और समकक्ष परीक्षा निर्धारित की गयी हो, तो आठवीं कक्षा की परीक्षा

(viii) अन्य मामलों में चौथी कक्षा की परीक्षा,

(ix) इसके अतिरिक्त झारखंड को आवंटित अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की संतान एवं उनकी पत्नी प्रदेश की स्थानीय निवासी माने जायेंगे।

(x) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित झारखंड के स्थानीय निवासी की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों की पत्नी को भी प्रदेश का स्थानीय निवासी माना जायेगा।

(xi) छात्र का पिता यदि मूल निवासी की परिभाषा के अंतर्गत आता है और यदि वह सैनिक सेवा के कारण झारखंड में पदस्थापित नहीं हो सका है तो उसके पुत्र/पुत्री को झारखंड का मूल निवासी माना जायेगा, भले ही उसने राज्य के किसी भी शिक्षण संस्थान में शिक्षा प्राप्त नहीं की हो। यह सुविधा केवल सैनिक सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियो को उपलब्ध होगी।

(xii) भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए व्यवसायिक कॉलेजों/संस्थानों में प्रवेश हेतु मूल निवासी प्रमाण–पत्र में छूट अनुमान्य होगा।

(xiii) कश्मीर से आये हुए विस्थापित परिवारों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए उन प्रयोजनों के लिए जिनके संबंध में झारखंड के मूल निवासी होने की शर्त्त की पुष्टि होनी चाहिए, उससे इन परिवारों को मुक्त रखा जायेगा।

(xiv) जिसके पालकों (Parents) में से कोई झारखंड में शरणार्थी के रूप में पंजीकृत हों,

(xv) झारखंड के माननीय सांसदों/पूर्व सांसदों/विधायकों/पूर्व विधायक/पूर्व पार्षद एवं विहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के आलोक में झारखंड राज्य के पार्षदों के पुत्र/पुत्रियाँ हों।

5. शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु ''स्थानीय निवासी'' प्रमाण–पत्र उन्हीं आवेदकों को जारी किया जायेगा जो किसी अन्य राज्य के ''स्थानीय निवासी'' प्रमाण–पत्र से आच्छादित न हों।

6. झारखंड स्थित तकनीकी/व्यवसायिक शिक्षण संस्थानों में दाखिला के लिए पूर्व में जो भी निर्णय अथवा नीति लागू है वह आलोच्य संकल्प के निर्गत होने की तिथि से स्वतः निरस्त समझा जायेगा। यह संकल्प विशेष रूप से झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा घोषित आवासीय श्रेणी संबंधी न्यूनतम योग्यता के परिप्रेक्ष्य में संगत होगा, परन्तु यदि झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा पूर्व में, निर्गत कर दिया गया हो और आवेदन पत्र प्राप्त कर परीक्षा की कार्रवाई शुरू कर दी गयी हो तो वह इस नीति से प्रभावित नहीं होगा।

आदेश : आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित किया जाय और उसकी प्रति महालेखाकार, झारखंड, राँची/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, झारखंड/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष, झारखंड/ अध्यक्ष, झारखंड लोक सेवा आयोग, राँची/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त, झारखंड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जाए।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से
अस्पष्ट
(एस. के. चौधरी)
सरकार के सचिव।

ज्ञाप संख्या : 5/विविध–09/2001 (डोमिसाईल) का0 2691/राँची, दिनांक 29/4/02 ई.।

अनुसूची – 'ख'

फार्म : स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र

पत्रांक : .... दिनांक : ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री.. पिता/पति श्री.. पता–ग्राम/वार्ड/शहर.......................... डाकघर.......................... थाना.......................... जिला.......................... के स्थानीय निवासी हैं और यह प्रमाण पत्र कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के ज्ञाप सं0 5/विविध – 09/2001(डोमिसाईल(का0 2691 दिनांक 29.04.2002 में उल्लेखित प्रावधानों के आलोक में निर्गत किया गया है। यह प्रमाण पत्र मात्र शैक्षणिक कार्य के संदर्भ में मान्य होगा।

स्थान :.................................... अनुमंडल पदाधिकारी का हस्ताक्षर

तिथि :.................................... कार्यालय का मुहर

अनुसूची – 'ग'

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 7/जा॰नि॰–19–11/08 का॰–5682

दिनांक 22.09.09 के आलोक में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु जाति प्रमाण–पत्र का प्रारूप

जाति प्रमाण–पत्र

संख्या : .... तिथि : ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री.. निवासी, ग्राम/कस्बा/मुहल्ला.......................... डाकघर.......................... थाना.......................... अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अन्तर्गत.......................... जाति/उप जाति के सदस्य हैं, जो झारखण्ड राज्य के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी.. एवं/अथवा उनका/उनकी परिवार साधारणतः गाँव/कस्बा.......................... शहर.......................... जिला.......................... राज्य.......................... में निवास करते हैं।

स्थान :.................................... सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर (अनुमंडल पदाधिकारी)

तिथि :.................................... नाम....................................

कार्यालय का मुहर पदनाम....................................

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 7/जा॰नि॰–19–11/08 का॰–10007

दिनांक 29.08.2012 के आलोक में अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) हेतु जाति प्रमाण–पत्र का प्रारूप

संख्या : .... तिथि : ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पुत्री/.. ग्राम / शहर .... थाना .... जिला .... झारखण्ड के रहने वाले / की वाली हैं, जो झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम–2001 की धारा–2 के अन्तर्गत अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूचित–1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूचित–2) के अधीन अत्यन्त पिछड़ा वर्ग / पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त .... समुदाय से आते /आती हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या–3482 दिनांक 10.06.2002 द्वारा अंगीकृत कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या–36012 / 22/ 93–स्था0(एस.सी.टी.) दिनांक 08.09.1993 की अनुसूची के स्तम्भ–3 में उल्लिखित व्यक्ति / वर्ग (क्रीमी लेयर) में शामिल नहीं है।

स्थान :– सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर (अनुमंडल पदाधिकारी)

तिथि :– नाम....................................

पदनाम....................................

(कार्यालय की मुहर)